स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

खेलो झारखण्ड 2026-27

"खेलेंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे"

"अब खेलेगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा झारखण्ड"

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची।

अनुक्रमणिका

(INDEX)

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	3
2	राज्य परियोजना निदेशक के कलम से	4
3	राष्ट्रीय स्कूली खेल पदक तालिका	5–8
4	वार्षिक खेल कार्यक्रम के उद्देश्य	9
5	वार्षिक खेल कार्यक्रम की प्रक्रिया एवं स्वरुप	10–11
6	विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन की विवरणी	12–13
7	प्रखण्ड स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन की विवरणी	14–16
8	जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन की विबरणी	16–18
9	राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की समय सारणी	19–20

प्रस्तावना

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड द्वारा राज्य में संचालित 35454 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास को लेकर कृत संकल्पित है। वर्तमान में राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य को लेकर कई तरह की गतिविधियाँ चलाई जा रही है। उन्हीं में से खेल भी है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक होता है। साथ ही विभाग ने खेल को बढ़ावा देने के लिए **खेलो झारखण्ड** जैसा एक मंच प्रदान किया है। जिसके तहत पिछले तीन सत्र में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के खिलाड़ी विद्यालय से निकलकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर के साथ-साथ विभिन्न चयन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए राज्य टीम में शामिल हो राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों पदक जीतकर राज्य का नाम रौशन कर रहे हैं। जो निकट भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में भी खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड के अंतर्गत झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् राँची द्वारा राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्कूली खेल में राज्य की भागीदारी एवं वार्षिक खेल कार्यक्रम खेलो झारखण्ड हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) 2026-27 की रुपरेखा बनाने का निर्णय लिया गया है। जिससे की पूर्व के वर्षो की तरह इस वर्ष भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन और भी बेहतर हो सके साथ ही राज्य के होनहार खिलाड़ियों को आधुनिकता से परिपूर्ण प्रशिक्षण, खेल उपस्कर, भोजन एवं आवासन उपलब्ध कराते हुए उन्हें एक समुचित प्लेटफार्म प्रदान कराकर उनके भविष्य को और भी उदयमान बनाया जा सके।

संदेशः-राज्य परियोजना निदेशक के कलम से

जोहार :

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की दूरदर्शी सोच और झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् राँची के क्रियान्वयन का ही प्रतिफल है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं द्वारा नया कृतिमान स्थापित किया जा रहा है। 2025-26 में हुए राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के विभिन्न खेलो में राज्य के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए 30 स्वर्ण पदक के बदौलत पहली बार झारखण्ड राज्य स्कूली खेल प्रतियोगिता (**SGFI**) के राष्ट्रीय पदक तालिका में 14वां स्थान हासिल किया जो राज्य के लिए गर्व और गौरव की बात है। राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता 2026 में झारखण्ड के बैंड टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पाइप बैंड प्रतियोगिता के दोनो श्रेणियों (बालक एवं बालिका) में प्रथम स्थान तथा ब्रास बैंड प्रतियोगिता के बालक वर्ग मे तृतीय स्थान प्राप्त कर झारखण्ड राज्य का नाम देश भर में रौशन किया।

इस वर्ष भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग वार्षिक खेल कार्यक्रम खेलो झारखण्ड 2026-27 की बृहद एवं विकसित रूपरेखा के साथ अपने राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक पायदान और ऊपर बढ़ाने के लिए तैयार है। विभाग द्वारा विद्यालय स्तर से खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं तथा खेल सामग्री, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

मैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से सभी प्रतिभागियों एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को शुभकामनाओं के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

66TH NATIONAL SCHOOL GAMES 2022-23					
MEDAL TALLY					
SL.	NAME OF THE GAME	GOLD	SILVER	BRONZE	TOTAL
1	ATHLETICS	1	0	1	2
2	FOOTBALL	0	0	1	1
3	HOCKEY	1	0	0	1
4	TAEKWONDO	1	0	3	4
5	WEIGHTLIFTING	0	0	1	1
6	WRESTLING	0	1	2	3
7	YOGA	0	0	1	1
		3	1	9	13

67TH NATIONAL SCHOOL GAMES 2023-24

MEDAL TALLY

SL.	NAME OF THE GAME	GOLD	SILVER	BRONZE	TOTAL
1	ARCHERY	2	1	0	3
2	ATHLETICS	3	1	3	7
3	BOXING	0	2	1	3
4	CYCLING	3	2	4	9
5	FOOTBALL	3	1	0	4
6	GATKA	0	2	3	5
7	HOCKEY	1	1	1	3
8	JUDO	0	0	1	1
9	SHOOTING	1	0	0	1
10	SWIMMING	1	1	0	2
11	TAEKWONDO	0	2	9	11
12	WEIGHTLIFTING	0	3	2	5
13	WRESTLING	0	2	4	6
14	WUSHU	3	8	10	21
15	YOGA	2	0	0	2
		19	26	38	83

68TH NATIONAL SCHOOL GAMES 2024-25

MEDAL TALLY

SL.	NAME OF THE GAME	GOLD	SILVER	BRONZE	TOTAL
1	ARCHERY	10	13	4	27
2	ATHLETICS	5	5	3	13
3	BOXING	2	0	3	5
4	CYCLING	0	2	4	6
5	FOOTBALL	2	2	2	6
6	GATKA	0	1	3	4
7	HOCKEY	4	0	1	5
8	JUDO	0	0	1	1
9	SHOOTING	0	1	0	1
10	TAEKWONDO	1	3	1	5
11	WEIGHTLIFTING	1	2	0	3
12	WRESTLING	0	2	2	4
13	WUSHU	0	1	4	5
		25	32	28	85

69TH NATIONAL SCHOOL GAMES 2025-26

MEDAL TALLY

SL.	NAME OF THE GAME	GOLD	SILVER	BRONZE	TOTAL
1	ARCHERY	13	9	4	26
2	ATHLETICS	2	3	4	9
3	BOXING	0	3	5	8
4	CYCLING	4	4	0	8
5	FOOTBALL	3	1	0	4
6	GATKA	0	0	1	1
7	HOCKEY	4	0	1	5
8	SHOOTING	1	1	0	2
9	SKATING	1	0	1	2
10	TAEKWONDO	2	1	6	9
11	WEIGHTLIFTING	0	2	1	3
12	WRESTLING	0	0	2	2
13	WUSHU	0	2	4	6
		30	26	29	85

कार्यक्रम प्रबंधन

वार्षिक खेल कार्यक्रम 2026-27:-

क्र.सं.	खेल कार्यक्रम	आयोजन तिथि
1	विद्यालय स्तर खेल प्रतियोगिता	03 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक
2	प्रखण्ड स्तरीय खेल प्रतियोगिता	17 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक
3	जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता	01 सितम्बर से 12 सितम्बर 2026 तक
4	राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता	24 सितम्बर से 11 अक्टूबर 2026 तक
5	राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता	12 अगस्त - 22 अगस्त 2026

नोट- उपरोक्त तिथि में परिस्थिति एवं आवश्यकता के आधार पर बदलाव की जा सकती है।

उद्देश्य:-

- विद्यालयों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पेशेवर व्यक्तित्व, खेल से संबंधित रोजगार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना)
- विद्यार्थियों में अच्छे गुणों जैसे अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, निर्णय लेने की क्षमता आदि को विकसित करना।
- खेल ऐसा सजग माध्यम है जो हमारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ समाज में एक अलग स्थान प्रदान करता हैं।
- सशस्त्र बलों, सुरक्षा सेवाओं एवं विभिन्न विभागों में शामिल होने के लिए छात्रों की शारीरिक शक्ति का विकास करना।
- गलत आदतों एवं ड्रग्स आदि से दूर रखते हुए सकारात्मक उत्थान के लिए कार्य करना।
- खेलों के माध्यम से बेहतरीन नागरिकों का निर्माण करना।
- राज्य के प्रत्येक गाँव एवं शहर के विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर खेल-कूद संबंधी गतिविधियों में शामिल करना एवं एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की कोशिश करना जिससे उनके आत्मविश्वास एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हो।
- विद्यार्थियों के बीच छुपी प्रतिभाओं की खोज कर उसे निखारना।
- मानसिक विकास एवं स्वस्थ समाज के निर्माण की तरफ कदम बढ़ाना।

प्रक्रिया :-

1. **'खेलो झारखंड 2026-27'** विद्यालय खेल इस वर्ष विद्यालय स्तर से प्रारंभ होकर प्रखण्ड स्तर, जिला स्तर से राज्य स्तर तक आयोजित होंगे।

2. **'खेलो झारखंड 2026-27'** में खेल मंत्रालय भारत सरकार, खेल मंत्रालय झारखण्ड सरकार एवं झारखंड ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में से 06 खेल प्रतियोगिता को इस वार्षिक खेल कार्यक्रम में रखा गया है।

3. इन 06 खेलों में अंडर- 17 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को प्रतिभागिता का अवसर प्रदान किया जाएगा।

4. कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जैक बोर्ड द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन कार्ड / एडमिट कार्ड / अंक पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगा। साथ ही कक्षा 6 एवं 7 के विद्यार्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

5. विद्यार्थियों को ई-विद्यावाहिनी द्वारा निर्गत Student ID No. पंजीयन प्रपत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।

खेल प्रतियोगिता हेतु पात्रता:-

क्र.सं.	सभी खेल	कक्षा	जन्म तिथि
1	अंडर - 14	वर्ग VI एवं इससे ऊपर	Born on or after 01.01.2013
2	अंडर - 17	वर्ग VI एवं इससे ऊपर	Born on or after 01.01.2010
3	अंडर - 19	वर्ग VI एवं इससे ऊपर	Born on or after 01.01.2008

नोट :-

1. सभी सरकारी विद्यालयों (कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय, मॉडल विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवसीय विद्यालय एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय सहित), सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय तथा JAC द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय के ही विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
2. प्रदेश के सभी **CM SoE** विद्यालय भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
3. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC BOARD) से 10+2 हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थी ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

4. योग्यता प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, विगत वर्ष उतीर्ण परीक्षा का अभिप्रमाणित अंक पत्र तथा विद्यालय के उपस्थिति पंजी की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. अंडर- 17 आयु बालक एवं बालिका वर्ग के प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के आयु प्रमाण-पत्र की विस्तृत जाँच अनिवार्य रूप से की जायेगी। जिसमें त्रुटि पाये जाने पर संबंधित खिलाड़ी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभिभावक की सहमति को आधार बनाकर अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

6. केन्द्र सरकार द्वारा संचालित साई प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय क्रीड़ा केन्द्र, जे.एस.एस.पी.एस. एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार के आवासीय/गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र के प्रतिभागी खिलाड़ी "खेलो झारखण्ड 2026-27" अन्तर्गत आयोजित विद्यालय, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सभी खेल विधा में अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लेंगे।

7. खेल विधावार चयन प्रक्रिया में आवश्यक समस्त दस्तावेज सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित, योग्यता प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, विगत वर्ष उतीर्ण परीक्षा का अभिप्रमाणित अंक पत्र तथा विद्यालय के उपस्थिति पंजी की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

"खेलो झारखण्ड 2026-27" अन्तर्गत खेल प्रतियोगिता हेतु निर्धारित आयु वर्ग, खिलाड़ियों की संख्या एवं प्रशिक्षक/प्रबंधकों की संख्या तथा स्पर्धाओं की विवरणी

क्रं.	खेल	आयु वर्ग (वर्ष)	बालक	बालिका	प्रत्येक दल हेतु प्रशिक्षक एवं प्रबंधक	स्पर्धा एवं वर्गीकरण
1	एथलेटिक्स	17	22	22	4	100m,200m,400m,800m,1500m,3000m, 100m Hurdle(G), 110m Hurdle(B), High Jump,Long Jump, Triple Jump, Shotput, Discuss Throw, Javelin Throw, 4x100m Relay, 4x400mRelay, 3000m walk(G), 5000m walk(B)
2	फुटबॉल	17	16	16	4	
3	हॉकी	17	16	16	4	
4	कबड्डी	17	12	12	4	
5	खो-खो	17	12	12	4	
6	वॉलीबाल	17	12	12	4	

विद्यालय स्तरीय समिति

1. प्रधानाध्यापक	– अध्यक्ष
2. विद्यालय प्रबंधन समिति	– सदस्य
3. शारीरिक शिक्षा शिक्षक	– सदस्य
4. खेल मंत्री – बाल सांसद (कक्षा 6 से 12)	– सदस्य
5. सभी वर्ग शिक्षक	– सदस्य

समिति के कर्त्तव्य एवं निर्वहनः–

1. विद्यालय स्तर पर हाउस का गठन।
2. विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभ होने के पूर्व ही सभी वर्ग शिक्षक अपने कक्षा के छात्र/छात्राओं का नाम विधावर तैयार कर सूची उपलब्ध कराएगें।
3. समिति के सदस्यों की बैठक आहूत कर खेल आयोजन की तिथियों का निर्धारण।
4. विद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का दायित्व विद्यालय के शारीरिक शिक्षा शिक्षक/ नोडल शिक्षक (खेल) का होगा।
5. विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में सभी शिक्षक/ शिक्षिकाओं का सहयोग अनिवार्य होगा।
6. विद्यालय स्तर पर आयोजित इण्टर हाउस प्रतियोगिता के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयनित कर संबंधित खेल में प्रखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में सारी जवाबदेही प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक/ नोडल शिक्षक/ शारीरिक शिक्षा शिक्षक की होगी।
7. प्रखण्ड स्तर पर विद्यालयों की सहभागिता नहीं होने की स्थिति में जिला खेल समिति वस्तुस्थिति की जाँच करते हुए खेल कोषांग, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिताः–

1. विद्यालय स्तरीय खेल इण्टर हाउस प्रतियोगिता के रूप में होगा।
2. सभी विद्यालय झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा जारी वार्षिक खेल कार्यक्रम एवं खेल गतिविधि कैलेंडर के अनुसार सभी खेल प्रतियोगिताएँ निश्चित रूप से तय समय सीमा के अन्दर आयोजित करेंगे।
3. जिन विद्यालयों में महिला शारीरिक शिक्षा शिक्षक की नियुक्ति नहीं है, वैसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के चयनित

बालिका टीम को अन्य किसी विषय की महिला शिक्षिका के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक/ नोडल शिक्षक (जहाँ शारीरिक शिक्षा शिक्षक उपलब्ध नहीं है), विद्यालय प्रबंधन समिति एवं शिक्षक–अभिभावक समिति के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन करेंगे। साथ ही प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में विद्यालय की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को छात्र–छात्राओं की सूची उपलब्ध कराएंगे।
5. खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग किया जाएगा। **विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा मेडल एवं प्रमाण पत्र दिया जायेगा।** विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान बैनर एवं फोटोग्राफी आदि की उचित व्यवस्था की जाए एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा इसका संधारण किया जाएगा।
6. प्रतिभागियों के लिए First Aid एवं पेय–जल आदि की व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा किया जाएगा।
7. खेल प्रतियोगिताओं के दौरान स्थानीय समुदाय, पंचायती राज के प्रतिनिधियों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। ताकि बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।
8. **विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राएँ/ टीम प्रखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।**
9. खेल विद्यावार उत्कृष्ट खिलाड़ियों का **चयन की प्रक्रिया प्रथम मुकाबला** से ही करना सुनिश्चित करेंगे एवं अंतिम विजेता एवं उप विजेता टीमों में से आवश्यकतानुसार खिलाड़ियों का चयन करेंगे।

प्रखंड स्तरीय समिति

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी	–	संरक्षक
2. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
3. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी	–	समन्वयक
4. दो नामित शारीरिक शिक्षा शिक्षक	–	सदस्य
5. थाना प्रभारी	–	सदस्य
6. संबंधित खेल/ J.O.A. के नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
7. क्षेत्र के जाने माने राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी	–	सदस्य

समिति के कर्त्तव्य एवं निर्वहनः–

1. प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभ होने के पूर्व ही सभी संबंधित विद्यालयों से खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों एवं टीमों की सूची प्राप्त कर खेल आयोजन तिथि के अनुसार विवरणिका तैयार कर विद्यालयों को पूर्व में सूचित कर देंगे।
2. प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान आयोजन समिति के ही 5 सदस्यीय चयन समिति का गठन कर विभिन्न विद्यालयों से आए टीम में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले (खेल विधावार अंकित खिलाड़ियों की संख्या) खिलाड़ियों का चयन कर प्रखण्ड स्तरीय दल का नाम प्रेषित करेंगे।
3. प्रखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ट खिलाड़ियों का चयन कर टीम गठित करेंगे तथा जिला स्तर पर प्रतिभागिता कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रखण्ड स्तर पर चयनित टीमों को जिला स्तर के प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराने की जिम्मेवारी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की होगी।
5. **बालिका दलों के साथ महिला प्रशिक्षक नहीं होने के स्थिति में प्रखंड स्तरीय समिति किसी अन्य महिला शिक्षिका की जिम्मेवारी तय कर जिले पर प्रतिभागिता कराना सुनिश्चित करेंगे।**
6. प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित समस्त क्रियाकलापों का साक्ष्य **Geo Tag Photograph** के रूप में सुरक्षित रखेंगे। मांगे जाने पर वह साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
7. **प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता हेतु सभी प्रखंड को उपलब्ध करायी जा रही हैं। संबंधित राशि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। यह राशि खेल आयोजन, प्रमाण पत्र, पुरस्कार (मेडल,ट्राफी), फस्ट एड, स्वच्छ पेयजल, प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी, यात्रा व्यय एवं पोशाक उपलब्ध कराने तथा भोजनादि पर व्यय की जाएगी।**

8. समस्त प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन से संबंधित व्यय की निकासी एवं व्यय विपत्र समर्पित करने की जिम्मेदारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की होगी।

प्रखण्ड स्तरीय खेल प्रतियोगिता :-

1. प्रखण्ड स्तरीय खेल प्रतियोगिता चार दिवसों में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक दिवस की Geo Tag Photograph संधारित करना अनिवार्य है। इसकी निगरानी जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी।
2. प्रखण्ड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रखण्ड के सरकारी विद्यालयों (कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय, मॉडल विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, सीएम एसओई विद्यालय एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय सहित), सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय तथा JAC द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्रा भाग लेंगे।
3. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखण्ड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रखण्ड स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं उनके द्वारा नामित प्रखण्ड के दो शारीरिक शिक्षा शिक्षक की समिति के द्वारा किया जाएगा।
5. प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग किया जाएगा।
6. प्रखण्ड स्तर पर आयोजित सभी खेल प्रतियोगिता के **प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान** प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा मेडल एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जायेगा।
7. एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
8. प्रतियोगिता समापन से तीन दिनों के अंदर चयनित खिलाड़ियों की सूची संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
9. प्रतियोगिताओं के दौरान स्थानीय समुदाय, पंचायती राज के प्रतिनिधियों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। ताकि बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

10. प्रखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान बैनर एवं फोटोग्राफी आदि की उचित व्यवस्था की जाएगी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा इसका संधारण किया जाएगा।

11. **प्रखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागी अपना एलीजीबिलिटी फॉर्म, अभिभावक सहमति पत्र, आधार कार्ड, बोनाफाईड, जन्म प्रमाण पत्र एवं अंतिम वर्ष का अंक पत्र अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में प्रखण्ड स्तरीय समिति को यह अधिकार होगा कि वह विद्यालय के दल को भाग लेने से रोक दें।**

12. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभगियों की सूची में **BEEO, BPO** एवं नोडल शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

जिला स्तरीय समिति

क्र.स.	पदनाम	
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी	संरक्षक
2	जिला शिक्षा अधीक्षक–सह– अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी	अध्यक्ष
3	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी	आयोजन सचिव
4	प्रभाग प्रभारी, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कोषांग	समन्वयक
5	जिला ऑलाम्पिक संघ के अध्यक्ष/ सचिव	सदस्य
6	संबंधित जिला खेल संघ के अध्यक्ष/ सचिव	सदस्य
7	जिला के 05 शारीरिक शिक्षा शिक्षक	सदस्य

समिति के कर्त्तव्य एवं निर्वहनः–

1. जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभ होने के पूर्व ही सभी संबंधित प्रखण्डों से खेल में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों एवं टीमों की सूची प्राप्त कर खेल आयोजन तिथि के अनुसार विवरणिका तैयार कर प्रखण्डों को पूर्व में सूचित कर देंगे।
2. जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान जिला आयोजन समिति के द्वारा 5 सदस्यीय चयन समिति का गठन कर विभिन्न प्रखण्डों से आए टीम में से

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले (खेल विधावार अंकित खिलाड़ियों की संख्या) खिलाड़ियों का चयन कर राज्य स्तर के लिए नाम प्रेषित करेंगे।

जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता :-

1. जिला शिक्षा अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खेल आयोजित होंगे। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में विभिन्न खेल संघों से मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त करेंगे।
2. जिला शिक्षा अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति सभी खेल विधाओं में प्रतिभाग करने वाले दलों में से उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन कर जिले की एक टीम बनाकर राज्य में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित कराएगी।
3. जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता हेतु **राशि उपलब्ध कराया जा रहा हैं**। संबंधित राशि जिला के जिला कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी। यह राशि खेल आयोजन/ प्रमाण पत्र पुरस्कार/ ट्राफी, मेडल, फस्ट एड एवं प्रतिभागियों के पेयजल, भोजनादि पर व्यय की जाएगी।
4. **राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित सभी दलों (टीम) एवं एकल प्रतिभागियों को जिला समिति द्वारा खेल पोशाक (जर्सी एवं पैंट) एवं उनके परिवहन के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।**
5. आयोजन समिति एवं खेल संघो, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों एवं तकनीकी पदाधिकारियों के साथ ससमय बैठक कराना तथा सफल आयोजन कराना नोडल पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
6. प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग किया जाएगा।
7. विभिन्न स्पर्धाओं में **प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय** स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिला आयोजन समिति द्वारा **ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाण पत्र** दिया जायेगा एवं **सभी प्रतिभागीयों को सहभागीता प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करेंगे।**
8. प्रतियोगिता समापन से तीन दिनों के अंदर चयनित खिलाड़ियों की सूची नोडल पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय खेल कोषांग द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे, ससमय चयनित खिलाड़ियों की सुची न कराने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
9. **एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।**

10. **दलीय या टीम खेलों में सर्वश्रेष्ट खिलाड़ियों का चयन कर टीम गठित करेंगे। टीम गठन की प्रक्रिया प्रथम मुकाबला से ही करना सुनिश्चित करेंगे।**

11. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागी अपना एलीजीबिलिटी फॉर्म, आधार कार्ड, बोनाफाईड, जन्म प्रमाण पत्र एवं अंतिम वर्ष का अंक पत्र अनिवार्य रुप से लाना सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रतियोगिताओं के दौरान जिला प्रशासन, स्थानीय जन प्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, पंचायती राज के प्रतिनिधियों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

13. जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान बैनर एवं GEO Tag Photograph, फोटोग्राफी की आदि की उचित व्यवस्था किया जाएगा एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इसका संधारण किया जाएगा।

14. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची में जिला शिक्षा अधीक्षक/ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रभाग प्रभारी (खेल) एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

राज्य स्तरीय समिति

1.	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	– संरक्षक
2.	राज्य परियोजना निदेशक निदेशक, झा.शि.प.प., रांची	– अध्यक्ष
3.	राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी	–सदस्य सचिव
4.	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद कोषांग, झा.शि.प.प, रांची	– सदस्य
5.	राज्य ओलम्पिक एसोसिएशन के द्वारा नामित एक	– सदस्य
6.	अध्यक्ष द्वारा नामित (संबंधित खेल से दो नाम)	– सदस्य

राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता :–

1. राज्य स्तरीय खेल आयोजक राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की अध्यक्षता मे होगी।
2. राज्य स्तरीय खेल आयोजन हेतु आयोजन समिति का गठन किया जाएगा, जिसके नोडल पदाधिकारी श्री धीरसेन ए. सारेंग, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, झा.शि.प.प. होंगे।
3. आयोजन समिति एवं खेल संघो, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों एवं तकनीकी पदाधिकारियों के साथ ससमय बैठक कराना, कार्यवाही निकालना तथा सफल आयोजन कराना नोडल पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

राज्य स्तरीय खुली चयन (OPEN TRAIL) प्रतियोगिता 2026–27

खेलो झारखण्ड 2026–27 अन्तर्गत 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल 2026–27 में भाग लेने वाली राज्य टीम के चयन हेतु निम्नवत् खेलो के लिए राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा :–

क्र.	खेल का नाम	आयुवर्ग
1	ATHLETICS	U-14/17/19 B&G
2	FOOTBALL	U-14/17/19 B&G
3	HOCKEY	U-14/17/19 B&G
4	KABADDI	U-14/17/19 B&G
5	KHO-KHO	U-14/17/19 B&G
6	VOLLEYBALL	U-14/17/19 B&G
7	ARCHERY (I/R)	U-14/17/19 B&G
8	YOGASANA	U-14/17/19 B& G
9	CHESS	U-14/17/19 B&G
10	CRICKET	U-14/17/19 B&G
11	WRESTLING (F/S)	U-14/17/19 GIRLS
12	WRESTLING (G/R)	U-17/19 BOYS

क्र.	खेल का नाम	आयुवर्ग
13	WUSHU	U-17/19 B&G
14	TAEKWONDO	U-14/17/19 B&G
15	JUDO	U-14/17/19 B&G
16	BADMINTON	U-14/17/19 B&G
17	BOXING	U-14/17/19 B&G
18	CYCLING (TRACK/ROAD)	U-14/17/19 B&G
19	GATKA	U-17/19 B&G
20	HANDBALL	U-14/17/19 B&G
21	SWIMMING	U-14/17/19 B&G
22	WEIGHTLIFTING	U-17/19 B&G
23	BASKETBALL	U-14/17/19 B&G
24	SHOOTING	U-14/17/19 B&G
25	TABLE TENNIS	U-17/19 B&G
26	NETBALL	U-14/17 B&G
27	GYMNASTIC	U-14/17/19 B&G
28	SEPAK TAKRA	U-17/19 B&G
29	SKATING	U-11/14/17/19 B&G

2. 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 में राज्य टीम की भागीदारी के पूर्व सभी खेलों के लिए माह अगस्त 2026 में राज्य टीम के गठन हेतु खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।
3. राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व आयोजित राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया में राज्य की परिसिमा में स्थित सभी प्रकार के किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय के नियमित छात्र-छात्रा खिलाड़ी भाग ले सकते है।
4. राज्य स्तरीय खुली चयन (OPEN TRAIL) प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को एलीजीबिलिटी फॉर्म (प्रधानाध्यापक द्वारा अभिप्रमाणित), आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र एवं अंतिम वर्ष का अंक पत्र अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
5. **सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का नाम, जन्म तिथि एवं पिता का नाम आधार एवं अन्य सभी दस्तावेजों में एक होना अनिवार्य है। प्रतिभागी का नाम, जन्म तिथि एवं पिता का नाम में अन्तर (Missmatch) होने की स्थिति में संबंधित खिलाड़ी का पंजीयन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।**
6. खुली चयन प्रक्रिया में चयनित खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा और प्रशिक्षण शिविर में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम रुप से चयनित खिलाड़ी 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखण्ड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं होने की स्थिति में ओपन ट्रायल के सर्वश्रेष्ट खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे।

अतः निदेश है कि उपरोक्त दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में खेलो झारखण्ड, 2026-27 प्रतियोगिता को विद्यालय, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित करना सुनिश्चित करें।

(शशि रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,
राँची।

ज्ञापांकः– SPE/51/81/2026 3049 राँची, दिनांक 5.8.26

प्रतिलिपिः–

1. सभी जिला शिक्षा पदाकधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक –सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।
2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।
3. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।
4. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

(शशि रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,
राँची।